N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** नैनीताल **P.S. (थाना):** हल्द्वानी **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0297 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 30/08/2026 22:16 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	एससी / एसटी एक्ट -1989 (संशोधन 2015)	3(1)~~(r)~~ (v)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	196
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	299

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): शनिवार **Date from (दिनांक से):** 29/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 29/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1 **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/08/2026 **Time (समय):** 22:08 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 086 **Date and Time (दिनांक और समय):** 30/08/2026 22:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 250 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** अ0त0,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अमित कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): त्रिलोक सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2000

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	जवाहर नगर कॉलोनी वार्ड नं0- 15, हल्द्वानी, बनभूलपुरा, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	जवाहर नगर कॉलोनी वार्ड नं0- 15, हल्द्वानी, बनभूलपुरा, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7037221564

Scanned with OKEN Scanner

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	राहुल गाँधी			1. नेता प्रतिपक्ष लोकसभा,कोतवाली,उत्तरी,दिल्ली,भारत	1. नेता प्रतिपक्ष लोकसभा,कोतवाली,उत्तरी,दिल्ली,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल तहरीर टाईपशुदा हिन्दी वादी – शिकायत / प्रार्थना - पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने हेतु) सेवा में, थानाध्यक्ष, कोतवाली हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड।
विषयः श्री राहुल गांधी, सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष (लोक सभा) द्वारा दिनांक 29.08.2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 11.08.2026 के रामलीला मैदान, हल्द्वानी के सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठान को असत्य एवं अपूर्ण तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति के विरुद्ध जाति सूचक, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना जिससे समुदाय में बेमनुश्य उत्पन्न होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने हेतु शिकायत। महोदय, 1- मैं, अमित कुमार, पुत्र श्री त्रिलोक सिंह

Scanned with OKEN Scanner

आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी जवाहर नगर कालोनी वार्ड नं0 15 हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड, मोबाइल ....अनुसूचित जाति से सम्बंधित हूँ। मैं श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन /समिति का पूर्ण नाम एवं पंजीकरण संख्या) का सदस्य/पदाधिकारी हूँ तथा दिनांक 11.08.2026 को रामलीला मैदान, हल्द्वानी में सम्पन्न सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठान में स्वयं उपस्थित एवं सहभागी था। तत्संबंधी प्रमाण संलग्नक-2 एवं संलग्नक-4 के रूप में संलग्न हैं। 2. दिनांक 11.08.2026 को रामलीला मैदान, हल्द्वानी में की गई सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठान की कार्यवाही का किसी व्यक्ति की जाति से कोई संबंध नहीं था; उक्त कार्यवाही में मैं स्वयं तथा अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्ति सहभागी थे। इसके बावजूद श्री राहुल गांधी ने दिनांक 29.08.2026 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिना किसी सत्यापन के, उक्त कार्यवाही को "छुआछूत एवं अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध घोषित करते हुए इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की सार्वजनिक मांग की। इसके परिणामस्वरूप मुझ अनुसूचित जाति (वाल्मीकि) के व्यक्ति को ही लोक दृष्टि में छुआछूत करने वाले" एवं "दलित विरोधी" के रूप में चित्रित कर अपमानित किया गया है, आपराधिक कार्यवाही हेतु लक्षित किया गया है, तथा समुदायों के मध्य वैमनस्य एवं तनाव उत्पन्न हुआ है। 3. यह कि रामलीला मैदान, हल्द्वानी वर्षों से भगवान श्रीराम की रामलीला तथा अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ा हुआ आस्था का स्थल है, जिसकी पवित्रता एवं मर्यादा स्थानीय समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. यह कि दिनांक 08.08.2026 को उक्त रामलीला मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे सहित अनेक नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। 5. यह कि कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत मैंने स्वयं मैदान एवं मंच का निरीक्षण किया, जहाँ भारी मात्रा में कूड़ा-कचरा तथा मदिरा की खाली बोतलें पड़ी हुई पाई गईं, तथा कुछ बोतलों में अत्यंत आपत्तिजनक/अशुद्ध सामग्री भी पाई गई। इस स्थिति के फोटो/वीडियो साक्ष्य संलग्नक-3 के रूप में संलग्न हैं। 6. यह कि उक्त कार्यक्रम से संबंधित अनेक वीडियो सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल माध्यमों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जिनमें कार्यक्रम के दौरान कतिपय व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक एवं प्रथमदृष्ट्या जिहादी प्रकृति के नारे लगाए जाते हुए दिखाई/सुनाई देते हैं। उक्त नारों से रामलीला मैदान जैसे धार्मिक एवं आस्था से जुड़े स्थल की मर्यादा को गंभीर ठेस पहुँची तथा स्थानीय नागरिकों एवं समिति के सदस्यों में व्यापक रोष एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। 7. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत दिनांक 11.08.2026 को स्थल की सफाई की गई तथा उसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मर्यादा की पुनर्स्थापना हेतु हवन शुद्धिकरण का धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न किया गया। उक्त कार्यवाही का श्री मल्लिकार्जुन खरगे अथवा किसी भी व्यक्ति की जाति से कोई संबंध नहीं था। 8. यह कि यह तथ्य विशेष महत्व का है कि उक्त सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठान में मैं स्वयं, जो अनुसूचित जाति (वाल्मीकि) से हूँ, तथा अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्ति सहभागी थे। इस समिति की धार्मिक गतिविधियों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहभागिता सदैव रही है। तत्संबंधी फोटो/वीडियो साक्ष्य संलग्नक-4 के रूप में संलग्न हैं। 9. यह कि इसके उपरांत भी दिनांक 29.08.2026 को श्री राहुल गांधी, सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष (लोक सभा) ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में :

Scanned with OKEN Scanner

उक्त घटनाक्रम को जातिगत स्वरूप देते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह वक्तव्य दिया कि शुद्धिकरण छुआछूत का ही दूसरा नाम है", कि यह 'अपराध' है, तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से उक्त आशय का आदेश दिए जाने की सार्वजनिक मांग की तथा यह भी कहा कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो "प्रतिक्रिया" होगी। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो/ट्रांसक्रिप्ट एवं आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट संलग्नक-5 के रूप में संलग्न हैं। 10. यह कि उपरोक्त गंभीर सार्वजनिक आरोप लगाए जाने से पूर्व श्री राहुल गांधी अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा न तो समिति से तथ्यों की जानकारी ली गई, न मुझ जैसे अनुसूचित जाति/वाल्मीकि समाज से आने वाले सहभागियों का पक्ष सुना गया, और न ही दिनांक 08.08.2026 के कार्यक्रम के उपरांत मैदान की वास्तविक स्थिति की कोई जाँच अथवा सत्यापन किया गया। 11. यह कि उक्त वक्तव्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पूर्ण देश में व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिनके परिणामस्वरूप मुझे एवं समिति से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से "छुआछूत करने वाले", "जातिवादी" एवं "दलित विरोधी के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जबकि मैं स्वयं अनुसूचित जाति (वाल्मीकि) से हूँ। 12. यह कि उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत मेरे तथा समिति से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, हमारे विरुद्ध लोगों को उकसाया जा रहा है, तथा मुझे धमकी/अपमानजनक संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट/अभिलेख संलग्नक-6 के रूप में संलग्न हैं। इससे मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान, जीविका एवं सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है तथा मैं एवं मेरा परिवार भय एवं मानसिक प्रताड़ना की स्थिति में है। 13. महोदय उपरोक्त व्यक्ति एवं अभियुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (r) - अभियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित प्रेस कॉन्फ्रेंस, अर्थात् पूर्णतः लोक दृष्टि में, ऐसे वक्तव्य दिए जिनसे मुझ अनुसूचित जाति के सदस्य को, जो उक्त अनुष्ठान का ज्ञात सहभागी है, जानबूझकर अपमानित एवं अभित्रस्त किया गया तथा मेरी गरिमा को आघात पहुँचाया गया। 14. उक्त अधिनियम की धारा 3(1) (u)- अभियुक्त के वक्तव्यों से मेरे तथा अनुसूचित जाति के अन्य सहभागियों के विरुद्ध वैमनस्य, घृणा एवं दुर्भावना की भावना को बढ़ावा मिला है। 15. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196- जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के मध्य वैमनस्य को बढ़ावा देना तथा सद्भाव बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कृत्य करना। 16. उक्त संहिता की धारा 197 (1) (c)- ऐसा अभिकथन प्रकाशित करना जो एक वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में असामंजस्य अथवा वैमनस्य की भावना उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने की संभावना रखता है। 17. उक्त संहिता की धारा 353 (1) (c) एवं 353 (2)- ऐसे कथन/समाचार का प्रकाशन एवं परिचालन जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध अपराध करने हेतु उत्प्रेरित करता है तथा वर्गों के मध्य शत्रुता, घृणा एवं दुर्भावना उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने की संभावना रखता है। तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर लागू होने वाली अन्य समस्त धाराएँ। उपरोक्त समस्त अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014)2 SCC1 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। 18. यद्यपि

Scanned with OKEN Scanner

उक्त वक्तव्य नई दिल्ली में दिए गए, तथापि उनका परिणाम एवं प्रभाव अर्थात् शिकायतकर्ता का अपमान, प्रताड़ना एवं समुदायों के मध्य वैमनस्य हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में उत्पन्न हुआ है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 199 के अंतर्गत आपके थाना क्षेत्र को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 19. यदि किसी कारणवश क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) के अंतर्गत "शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट" (Zero FIR) पंजीकृत कर सक्षम थाने को अंतरित की जाए। अपराध घटित होने के क्षेत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः महोदय से सादर निवेदन है कि : प्रस्तुत शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्री राहुल गांधी के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (q), 3(1) (r) एवं 3(1) (u) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197 एवं 353 तथा अन्य लागू धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए: एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7 के अनुपालन में विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी द्वारा कराई जाए: एवं दिनांक 29.08.2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सम्पूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रेस विज्ञप्ति, आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित अंशों को संबंधित प्रसारक/ मध्यवर्ती संस्थानों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के अंतर्गत तलब कर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण-पत्र सहित सुरक्षित रखा जाए: एवं दिनांक 08.08.2026 के कार्यक्रम के उपरांत रामलीला मैदान की वास्तविक स्थिति तथा दिनांक 11.08.2026 की सफाई एवं धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित फोटो, वीडियो, सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विलंब से पूर्व सुरक्षित किए जाएँ एवं समिति के पदाधिकारियों, सफाई एवं अनुष्ठान में उपस्थित व्यक्तियों तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति के सहभागियों के कथन अभिलिखित किए जाएँ, जिससे घटना के वास्तविक कारण एवं स्वरूप स्पष्ट हो सकें; एवं उक्त वक्तव्य के उपरांत शिकायतकर्ता एवं समिति के सदस्यों के विरुद्ध उत्पन्न धमकी, दबाव एवं उकसावे के संबंध में पृथक् से जाँच कर, उक्त अधिनियम की धारा 15A तथा नियम 1995 के अंतर्गत शिकायतकर्ता एवं साक्षियों को आवश्यक संरक्षण एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ: एवं प्रस्तुत शिकायत की पावती तत्काल प्रदान की जाए, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने पर उसकी निःशुल्क प्रति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(2) के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। यदि उपरोक्त के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की जाती है, तो शिकायतकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक समक्ष तथा धारा 175(3) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय समक्ष उपचार प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं, अमित कुमार, शिकायतकर्ता, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है, विषय-वस्तु विधिक परामर्श पर आधारित है, तथा इनमें से कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही कोई तात्विक तथ्य छिपाया गया है। मैं इस शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं विवेचना में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर हूँ।

दिनांक: 30.08.2026 स्थान: हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड भवदीय, SD अंग्रेजी

Scanned with OKEN Scanner

(अमित कुमार) सदस्य/पदाधिकारी श्री राम सेवा धर्मार्थ सेवा न्याय अनुसूचित जाति पता जवाहर नगर कलोनी मोबाइल: 7037221564 हस्ताक्षरः अंग्रेजी अपठित

प्रतिलिपिः आवश्यक कार्यवाही हेतु 1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. पुलिस उपाधीक्षक, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ, जनपद नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल (विशेष लोक अभियोजक/अत्याचार निवारण हेतु)।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड। 5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।

नोट – मै कानि0 599 ना0पु0 ललित मोहन दत्त कोतवाली हल्द्वानी जिला नैनीताल प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल सीसीटीएनएस साफ्टवेयर पर मेरे द्वारा शब्द व शब्द टाईप की गयी है।
दिनांक 30/08/2026

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Amit Kumar **Rank (पद):** उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Scanned with OKEN Scanner

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Vijay Singh Mehta

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): CP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1981				चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Scanned with OKEN Scanner